(वाद सं0.-3438/4/25/2021)

07-07-2023

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, सचिचदानंद मिश्रा, सेवानिवृत्त परिचारी, अनुमण्डल कार्यालय, रजौली (नवादा) के दिनांक–31.01.2021 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त अब तक सातवें वेतन की अन्तर राशि, ACP व अनुमान्य सेवान्त लाभो का भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, नवादा** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, नवादा** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मृत परिवादी, स्व0 सच्चिदानंद मिश्रा, को ACP तथा अनुमान्य सभी सेवान्त लाभो का भुगतान किया जा चुका है। उनकी ओर से उपरोक्त के समर्थन में संबंधित कार्यालय द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश की प्रति अनुलग्नित की गई है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा निस्तारण किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, नवादा** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है ।

तद्नुसार, **जिला पदाधिकारी, नवादा** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित (पृष्ठ–23–17 / प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

उप सचिव